



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276299
CG-DL-E-17092026-276299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4918]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948

No. 4918]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

का.आ. 5109(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (89) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2702(अ) तारीख 29 मई, 2026 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए पच्चीस हजार रुपए (25,000 रु.) प्रति मास को मजदूरी सीमा के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. आर-12025/01/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5109(E).— In exercise of the powers conferred by clause (89) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2702(E) dated 29th May 2026, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies rupees twenty-five thousand (₹25,000) per month as the wage ceiling for the purposes of Chapter III of the said Code, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. R-12025/01/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.